संख्या-89/2025/I/1180796/2025/001-71-2099-166-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-21-12-2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पी0एम0एस0एस0वाई ब्लॉक में स्थापित केन्द्रीय वातानुकूलन प्रणाली के उच्चीकण संबंधी कार्यो हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/इले0इंजी0/390/2025, दिनांक 21.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पी0एम0एस0एस0वाई ब्लॉक में स्थापित केन्द्रीय वातानुकूलन प्रणाली के उच्चीकण संबंधी कार्यो हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-63/2024/I/702257/2024/001-71-2099-166-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2024 द्वारा प्रश्नगत परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 1223.20 लाख (जी0एस0टी0 सहित) निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 611.60 लाख अवमुक्त की गयी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत संस्थान के वृहद निर्माण मद से उक्त परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 611.60 लाख (रूपये छः करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. शासनादेश संख्या-63/2024/I/702257/2024/001-71-2099-166-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2024 में उल्लिखित समस्त नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/ निदेशक, संस्थान का होगा।
3. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है। निदेशक, संस्थान द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत एच0वी0ए0सी0 सिस्टम को इन्डीकेटिव दरों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। अतः इनके क्रियान्वयन से पूर्व निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाय।
5. प्राविधानों को यथावत मानते हुए मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7. प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. धनरशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,11,60,000 (रुपये छह करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-89/2025/I/1180796/2025/001-71-2099-166-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।